दिनांक 29.03.2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम , भिलाई क्षेत्र में स्थापित विज्ञापन बोर्ड की पहचान अब नम्बरिंग के आधार पर की जायेगी। बोर्ड पर स्टीकर चिपकाया जायेगा जो वैधता की पहचान होगी, और सर्वे पश्चात् अवैध विज्ञापन बोर्ड को हटाने की कार्यवाही की जायेगा।

निगम आयुक्त एस 0के0 सुंदरानी के निर्देश पर राजस्व अधिकारी अशोक द्विवेदी ने राजस्व अमले की बैठक लेकर निर्देशित किया है कि निगम क्षेत्र के सभी जोन में मुख्य सड़क के साथ ही शहर की व्यस्तम अन्य सड़कों के किनारे लगाये गये विज्ञापन बोर्ड का सर्वे कार्य 30 मार्च से प्रारम्भ होगा जो विज्ञापन बोर्ड अथवा विज्ञापन एजेंसी निगम में पंजीकृत हैं और नियमानुसार देय राशि का भुगतान प्रतिवर्ष कर रहें हैं ऐसे विज्ञापन बोर्डो की पहचान विभाग में उपलब्ध सूची के आधार पर जोन का राजस्व अमला सर्वे कर विज्ञापन बोर्ड पर नम्बरिंग का स्टीकर चस्पा करेंगे। साथ ही जो बोर्ड अनाधिकृत रुप से स्थापित किये गये हैं उन्हे अवैध मानकर विभाग द्वारा उनके विज्ञापन एजेंसी को नोटिस जारी किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। श्री द्विवेदी ने बताया कि नेहरु नगर से खुर्सीपार तिराहा तक जीई रोड के दोनों ओर घड़ी चौक से रुंगटा कालेज, अवंती बाई चौक से जुनवानी डीपीएस , रिसाली आजाद मार्केट चौक से पटवारी कार्यालय तक, जवाहर नगर पेट्रोल पम्प से काली बाड़ी चौक एमआर- 20 तक, रेलवे क्रासिंग नेहरु नगर से केपीएस चौक तक, सुंदर नगर में गौरव पथ रोड में छावनी चौक तक आदि स्थानों पर विभिन्न एजेंसी के 474 विज्ञापन बोर्ड स्थापित है वहीं 321 ट्यूब्रलर पोल में विज्ञापन बोर्ड लगाये गये हैं, तथा 15 नग युनीपोल स्थापित है उसी प्रकार 106 स्थानों पर छत के उपर विज्ञापन बोर्ड स्थापित की अनुमति प्रदान की गई है जिसका सर्वे प्रारम्भ किया गया है। उन्होने आगे कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र को पत्र लिखा गया है कि उनके क्षेत्र में स्थापित विज्ञापन बोर्ड की जानकारी उपलब्ध करायें, ताकि शहर में स्थापित वैध एवं अवैध विज्ञापन बोर्ड की स्थिति स्पष्ट हो सके।

जनसम्पर्क अधिकारी

''जल है तो कल है'' ''जल ही जीवन है''

''वोट डालने जाना है- 23 अप्रैल को अपना फर्ज निभाना है''

॥ सत्यमेव जयते ॥